

## नगर निगम शिमला

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित की गई दुकानों, स्टोर्स, बुक कैफे तथा ए0टी0एम0 के आबंटन/संचालन हेतु दिनांक 11.03.2024 को 2.00 बजे तक मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी टॉउन हॉल, शिमला के कार्यालय कक्ष में गठित समिति के समक्ष निविदा खोलने हेतु इच्छुक निविदाकार या प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

जिन सम्पतियों की निविदाएँ आमंत्रित की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No	Particular	Size/capacity	Period	Security Money	Reserve Price P.A.
1	Café (Top Floor) at Newly Complex Kasumpti Shimla	----	10 Years	Rs.60,000/-	Rs. 3,60,000/-P.A.
2	4 <sup>th</sup> Floor Canteen Métropole Car Parking Shimla	168.00 Sq.ft	2 Years	Rs.20,000/-	Rs. 48,000/-P.A.
3	Shop No-1 Parimehal Chowk, Kasumpti Shimla	133.10 Sq.ft	10 Years	Rs.50,000/-	Rs. 96,000/-P.A.
4	Shop No -2(Ground floor) near Milk Plant Totu Shimla.	84.25 Sq.ft	10Years.	Rs. 50,000/-	Rs 96,000/- P.A.
5	Shop No -3(f. f) near Milk Plant Totu Shimla.	76.39 Sq.ft	10Years.	Rs. 50,000/-	Rs 96,000/- P.A.
6	Hall at Amar Bhawan Parking (GF)	650.00 Sq.ft	10Years.	Rs. 50,000/-	Rs.1,20,000/- P.A.
7	ATM Opp. Nathu Sweet Shop Lower Bazar Shimla	27.56 Sq.ft	10Years.	Rs. 50,000/-	Rs. 3,00,000/-P.A.
8	M.C. Store Boilueaganj Shimla	81 SqFt.	10 Year	Rs. 50,000/-	Rs. 96,000/- P.A.
9	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 334	60.21 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
10	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 335	59.60 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
11	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 336	59.60 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
12	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 337	60.31 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
13	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 338	58.69 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
14	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 339	58.69 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
15	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 340	60.92 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
16	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 341	60.92 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
17	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 343	60.92 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
18	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 344	63.96 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
19	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 345	60.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
20	Aajivika Bhawan Shimla 5th Floor Shop No. 547	60.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
21	Aajivika Bhawan Shimla 5th Floor Shop No. 548	59.94 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
22	Aajivika Bhawan Shimla 5th Floor Shop No. 549	63.00 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
23	Aajivika Bhawan Shimla 5th Floor Shop No. 550	60.24 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.



24	Aajivika Bhawan Shimla 5th Floor Shop No. 552	70.06 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
25	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 601	59.76 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
26	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 604	56.89 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
27	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 610	57.44 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
28	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 611	56.23 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
29	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 627	53.39 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
30	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 628	55.37 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
31	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 630	58.60 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
32	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 631	55.08 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
33	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 633	56.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
34	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 634	60.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- PA
35	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 635	61.47 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
36	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 636	60.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
37	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 637	53.39 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- PA
38	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 638	55.37 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
39	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 639	55.73 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
40	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 641	55.08 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
41	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 642	57.01 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
42	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 644	60.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
43	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 646	60.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
44	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 647	60.75 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
45	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 648	62.56 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.
46	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 649	62.02 sq ft	10 Year	50000/-	1,20,000/- P.A.

**नियम व शर्तः:-**

1. निर्धारित शर्तों की पूर्ति व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा रद्द कर दी जाएगी और उन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
2. उपरोक्त चार्ट में सम्पत्तियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी, तथा किसी अन्य प्रकार की धरोहर राशि की ट्रान्जैक्शन मान्य नहीं होगा। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट संयुक्त आयुक्त/आयुक्त, नगर निगम शिमला के नाम प्रेषित कर मोहर बन्द निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।




3. सफल उच्चतम निविदाकार द्वारा भरी गई वार्षिक उच्चतम निविदा/किराया राशि का 25 प्रतिशत किराया राशि (माल व सेवाकर अतिरिक्त) का भुगतान आबंटन पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर-भीतर निगम कोष में करना अनिवार्य होगा तथा बकाया 75 प्रतिशत किराया राशि के 10 मासिक उतर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) चैक जो कि आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, नगर निगम के नाम भरे गए हो, को कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने अनिवार्य होंगे, अन्यथा शर्तों की उल्लंघना करने पर सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त करते हुए आबंटन पत्र रद्द कर दिया जायेगा तथा द्वितीय सफल निविदाकार को कब्जा सौंपने बारे कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
4. सफल उच्चतम निविदाकार को निविदाओं की शर्त न0 3 में दर्शाई गई शर्तों के अतिरिक्त वार्षिक भरी गई उच्चतम निविदा/किराया राशि की 25 प्रतिशत किराया राशि (माल व सेवाकर अतिरिक्त) का भुगतान तथा बकाया 75 प्रतिशत किराया राशि के 10 मासिक उतर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) चैक, जो कि आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला के नाम भरे गए हो, को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के उपरान्त (प्रतिवर्ष) 10 वर्षों तक निरन्तर वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में निगम की सम्पदा शाखा को जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बिना किसी नोटिस के किया गया आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।
5. सफल निविदाकार को निविदा राशि पर केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा तथा माल व सेवाकर निविदा राशि की दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा। यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर लगाया जाता है अथवा निर्धारित करों में संशोधन किया जाता है तो निविदाकार को यथानुसार इनका अतिरिक्त तौर पर भुगतान करना होगा।
6. सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
7. प्रत्येक सफल निविदाकार यदि आबन्धित की गई सम्पत्ति को आबन्धित समयावधि के भीतर निगम को कब्जा वापिस सौंपता है, तो जमा की गई प्रतिभूति/धरोहर राशि को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा।
8. निविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का निविदा खोलने के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
9. आबन्धित की जाने वाली सम्पत्तियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र नगर निगम शिमला होगा।
10. निविदा खोलने वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो प्राप्त निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर खोली जायेगी।
11. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टैण्डर फार्म में साफ अंकों व शब्दों में लिखनी होगी जिसमें किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। टैण्डर फार्म नगर निगम शिमला की वेबसाईट से डाउनलोड कर अथवा नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से किसी भी कार्य दिवस पर निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।



12. निविदाकार को मोहरबन्द लिफाफे पर निविदा का नाम जिसके लिए निविदा भरी गई है, को लिखना अनिवार्य होगा, जैसे दुकान, बुक कैफे, स्टोर इत्यादि हेतू।
13. निविदायें अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखें निविदा बॉक्स में निर्धारित तिथि व समय से पहले डालनी होगी। समय सीमा के समाप्त होते ही निविदा बॉक्स को बन्द/सील कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तुत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी तथा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई निविदा ही स्वीकार होगी।
14. यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है, तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि के एक दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
15. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति दुकानों/स्टालों/ आदि का देनदार पाया गया तो जो उसकी निविदा है, उसे रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे निविदाकार बारे बाद में पता लगने पर भी उसकी निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
16. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा निर्धारित अनुबन्ध एवं शर्तों के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा को रद्द समझी जायेगी।
17. जिस भी निविदाकार के पास वर्तमान में निगम की कोई भी सम्पति जैसे दुकान/स्टाल/कैन्टीन इत्यादि का ठेका है, वह यदि उक्त दर्शाई गई निविदा में भाग लेता है अथवा टैन्डर फॉर्म भरकर निविदा बॉक्स में डालता है, तो भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदा स्वतः ही रद्द समझी जाएगी।
18. निविदाओं के अनुबन्ध व शर्तों पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपति अथवा सुझाव हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपतियां/सुझाव दायर कर सकता है उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपति/सुझाव मान्य नहीं होंगे।
19. उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई निविदाकार निविदाओं के बारे में अधिक जानकारी चाहता हो तो निविदाएँ भरने से पहले किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर अधीक्षक सम्पदा, नगर निगम शिमला से सम्पर्क कर सकता है।
20. आयुक्त, नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
21. सफल निविदाकार को सरकार अथवा नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
22. आयुक्त, नगर निगम शिमला या उनके प्राधिकृत कर्मचारी तथा सम्पदा शाखा के सभी निरीक्षकों/कर्मचारी को पट्टा/निविदा पर आबंटित सम्पति/सम्पतियों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
23. सफल उच्चतम निविदाकार को आबंटित की जाने वाली सम्पति/दुकान का निगम के साथ एक सप्ताह के भीतर-भीतर पट्टाविलेख निष्पादित करना अनिवार्य होगा। इकरारनामा/पट्टाविलेख

निष्पादित न करने की स्थिति में आबंटित सम्पति/दुकान की लीज रद्द समझी जाएगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

24. अनुबन्ध की अवधि की समाप्ति पर यदि सम्पति को कोई नुकसान पाया जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान की भरपाई की राशि को काटकर बाकि की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी और यदि नुकसान की भरपाई की राशि प्रतिभूति राशि से अधिक की बनती है, तो उसकी वसूली सम्बन्धित निविदाकार से करने के उपरान्त ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का दिया गया कब्जा समाप्त माना जाएगा।
25. निगम की उपरोक्त सम्पतियां वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी स्थिति/सुविधाओं के साथ आबंटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताएँ सफल निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।
26. सफल निविदाकार को बिजली व पानी का मीटर लगाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र नगर निगम की सम्पदा शाखा से स्वयं प्राप्त करना होगा और इनके लगाने के खर्चे एवं बिलों आदि का भुगतान भी स्वयं करना होगा।
27. सूची में दर्शाई निगम सम्पति में यदि बिजली पानी की कोई राशि देय होगी, तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।
28. निगम द्वारा आबंटित सम्पति जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आबंटन किया जायेगा।
29. सफल निविदाकार द्वारा विभाग को जो प्रत्येक माह के किराए के चैक प्रस्तुत किए जाएंगे, यदि बैंक द्वारा किसी भी रूप से Dishonor कर वापिस किए जाते हैं, तो निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा आबंटित सम्पति को रद्द करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
30. इसके अतिरिक्त उक्त दर्शाई गई सम्पतियों के लिए आंमत्रित की गई निविदा की शर्तों से सम्बन्धित जानकारी निगम कार्यालय से किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं।
31. निविदा की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतु अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाइट [www.shimlamc.hp.gov.in](http://www.shimlamc.hp.gov.in) पर प्राप्त कर सकते हैं।

  
आयुक्त

नगर निगम शिमला।